

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर कोर्स रिपोर्ट

इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनोमिक ऑफेंसेज

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में दिनांक 04.12.2017 से 08.12.2017 तक निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी श्रीमान् राजीव दासोत के मार्गदर्शन व अभिप्रेरण के फलस्वरूप “इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनोमिक ऑफेंसेज” विषय पर पांच दिवसीय कोर्स का आयोजन किया गया। इस कोर्स में राजस्थान पुलिस के उप अधीक्षक पुलिस (01), निरीक्षक पुलिस (06) एवं उप निरीक्षक (17) स्तर के कुल 24 अधिकारियों ने भाग लिया।



प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री आर.एस. शर्मा, अतिरिक्त निदेशक (सेवानिवृत्त), राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर ने डिजिटल साक्ष्य एकत्रित करने, दस्तावेजों का परीक्षण करना व विवादग्रस्त हस्तलेखन, हस्ताक्षर एवं दस्तावेजों की किस प्रकार से पहचान करते हैं, के बारे में जानकारी प्रदान की। तृतीय एवं चतुर्थ सत्र में श्री मिलिन्द अग्रवाल, साईबर एक्सपर्ट ने बैंकिंग व्यवस्था के आरे में एटीएम धोखाधड़ी का सामान्य परिचय, ऑनलाइन बैंकिंग अपराधों के बारे में बताते हुए इस प्रकार के अपराधों को रोकने, उनका पता लगाने तथा अनुसंधान के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिवस के प्रथम व द्वितीय सत्र में श्री एम.एम.अत्रे, आई.जी.पी.(सेवानिवृत्त) ने धोखाधड़ी, आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यास भंग आदि के अपराधों के बारे में विस्तार से बताते हुए अनुसंधान के दौरान ली जाने वाली साक्ष्य तथा ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में बताया। तृतीय एवं चतुर्थ सत्र में श्री निशीथ दीक्षित,

अधिवक्ता ने ऑनलाईन बैंकिंग अपराधों के बारे में बताते हुए इस प्रकार के अपराधों को रोकने, उनका पता लगाने तथा अनुसंधान के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के तृतीय दिवस के प्रथम सत्र में श्री अजय सिसोदिया, एजीएम, आरबीआई ने Un – incorporated bodies (UIB) (संयुक्त - निकाले निकायों) के द्वारा जमा की धन राशि पर व्याख्यान दिया। द्वितीय सत्र में श्री आरएस रावत, एजीएम, आरबीआई ने बैंकों के साथ आरबीआई और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के इंटरफेस की विनियामक भूमिका के बारे में विस्तार से समझाया। तृतीय एवं चतुर्थ सत्र में श्री अभिषेक भार्गव, एचडीएफसी टीम द्वारा भुगतान धोखाधड़ी की रोकथाम और पहचान, ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी एवं धोखाधड़ी निवारक उपाय मामले के अध्ययन, खुदरा संपत्ति संबंधित धोखाधड़ी के संबंध में व्याख्यान दिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के चतुर्थ दिवस के प्रथम सत्र में श्री आर.एस.बत्रा, आर.ए.एस. (सेवानिवृत्त) द्वारा जमीन संबंधी विवादों के संबंध में व्याख्यान दिया गया। उन्होंने जमीन संबंधी विवादों के अनुसंधान में ध्यान रखने योग्य दीवानी विधि के महत्वपूर्ण पहलुओं यथा, स्वामित्व, भू हस्तान्तरण, कब्जा आदि के संबंध में विस्तार से बताया। तृतीय सत्र में श्री सुरेश कुमार, मैनेजर आरबीआई, जयपुर द्वारा मुद्रा और कानूनी प्रावधान से संबंधित अपराधों के संबंध में व्याख्यान दिया गया। चतुर्थ सत्र में श्री हेमन्त नाहटा, सीनियर क्रिमिनल लॉयर द्वारा जमानत और रिमांड के संबंध में अपना व्याख्यान दिया।

अंतिम दिवस के प्रथम सत्र में द्वितीय श्री मुकेश यादव, उप अधीक्षक पुलिस, एसीबी, जयपुर ने आर्थिक अपराधों की जांच में मोबाईल एवं कम्प्यूटर का उपयोग, केस स्ट्रेडी, सीडीआर विश्लेषण के बारे में विस्तार से बताया। अंतिम श्री सत्र में सिद्धार्थ डचलवाल, एजीएम, सेबी, जयपुर ने सुरक्षा बाजार की बुनियादी अवधारणा, सेबी द्वारा जांच व प्रवर्तन एवं गैर कानूनी व्यापार और धन जुटाने की अवैध योजना पर अपना व्याख्यान दिया।

प्रशिक्षण के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे पुलिस अधीक्षक श्री विकास कुमार, एटीएस, जयपुर पुलिस ने अपने उदबोधन में प्रतिभागियों को उनके ज्ञान एवं कौशल में सतत वृद्धि कर सकारात्मक मनोवृत्ति से कार्य करने की प्रेरणा दी। श्रीमान द्वारा सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया गया। तत्पश्चात् प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र व ग्रुप फोटोग्राफ वितरित किये गये। प्रशिक्षण के समापन सत्र में प्रतिभागी श्री दिनेश शर्मा, उप अधीक्षक पुलिस 13 बटालियन, आरएसी, चैनपुरा जयपुर एवं सुश्री नरगिस, उप निरीक्षक जिला झालावाड. ने कोर्स के संबंध में अनुभव एवं विचार साझा किए।

प्रशिक्षण के अन्त में कोर्स निदेशक श्री नारायण टोगस, सहायक निदेशक इण्डोर एवं सहायक कोर्स डायरेक्टर श्री सुरेन्द्र शर्मा, उप अधीक्षक पुलिस ने मुख्य अतिथि महोदय, प्रतिभागियों व सहकर्मियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। कोर्स सधन्यवाद सम्पन्न हुआ।